न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 112/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. घेवरचन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति– लोहार, निवासी– गुडागरी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली। 2. मूलाराम पुत्र नेनाराम जाति– लोहार, निवासी– गुडागरी तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली।		1. लक्ष्मणराम पुत्र सांवलराम जाति माली गहलोत, निवासी– दिल्ली दरवाजा, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली। 2. तहसीलदार, मारवाड जंक्शन जिला पाली। 3. भू0अ0निरीक्षक कन्टालिया तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 13.03.2020 जो अतिरिक्त जिला कलैक्टर, पाली के द्वारा राजस्व अपील संख्या 53/2019 अनवान लक्ष्मण गहलोत बनाम तहसीलदार वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री गोविन्द दवे, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2,3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17 जुलाई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कन्टालिया के ख0सं0 247 जो कि देवेन्द्र कुमारी उर्फ देव्यानी पुत्री पृथ्वीसिंह राजपूत की खातेदारी की है जिसमें से 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या एक ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 16.11.2017 को क्रय कर लिया जिसके पश्चात रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार म0 जंक्शन में नामान्तकरण दायर करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/2018 दर्ज किया गया तथा सम्पूर्ण प्रकिया उपरान्त दिनांक 26.2.2019 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 3182 अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिनांक 10.5.2019 को स्वीकृत किया गया। दिनांक 18.5.19 को भू0 अ0 निरीक्षक कन्टालिया के द्वारा तहसीलदार के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर चार माह पश्चात दर्ज किया गया और स्वीकृत नामान्तरकरण को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उपखण्ड अधिकारी मा0 जंक्शन के न्यायालय में ग्राम कन्टालिया के ख0सं0 247 बाबत सिलिंग वाद संख्या 5/70 विचाराधीन है जबकि इस वाद की जानकारी तहसीलदार मा0 जंक्शन को पूर्व से ही थी। इसके पश्चात रेस्पो0 संख्या एक ने तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अति0 जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 13.3.2020 को स्वीकार होने पर तहसीलदार मा0 जंक्शन के रिव्यू आदेश अपास्त कर दिया और दिनांक 26.2.19 के आदेश को यथावत रख दिया जबकि इससे पूर्व भी अपीलान्ट दिनांक 3.02.1997 को संयुक्त रूप से भूमि क्रय की परन्तु अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

और भू माफियाओं के पक्ष में आदेश पारित किये गये। अति0 जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत अपील पेश करने हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में यह कथन किया कि उक्त अनवान अपील से पूर्व ही गैर कानूनी तरीके से कंटालिया ग्राम के ख0सं0 247 बाबत कार्यवाही चलती आ रही है। उपखण्ड अधिकारी, मा0 जंक्शन के यहॉ सीलिंग वाद विचाराधीन चल रहा है जिनकी जानकारी राजस्व अधिकारी/कर्मचारीगण को है। उक्त भूमि अपीलान्ट की क्रय शुदा है तथा उसके हित–निहित है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3.6.2019 को जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन भी दिया जिस पर कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2020 को चुनौती देने हेतु अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें।

वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.03.2020 की पक्षकार न होने से जानकारी नहीं थी तथा हाल ही गांव में जानकारी हुई जब नकले प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश Speaking Order व Arbitrary Perverse and Capricious होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2020 को निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजात पेश किये।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष एक अपील इस आशय की पेश की कि ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन के ख0सं0 247 में से उसके रेकर्डेड खातेदार देवेन्द कुमार उर्फ देव्यानी पुत्री पृथ्वीसिंह से उनका 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनंक 16.11.2017 को खरीद कर कब्जा काश्त मौके पर प्राप्त किया गया था तथा तब से लगातार बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है। उक्त खरीद अनुसार नामा0 दर्ज करने हेतु तहसीलदार मा0जंक्शन कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किया तथा नामा0 संख्या 3182 दिनांक 10.5.19 दर्ज किया। तहसीलदार मा0जंक्शन के उक्त निर्णय के विरूद्ध भू0अ0निरीक्षक द्वारा 04 माह पश्चात रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश देते हुए उक्त नामा0 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ख0सं0 247 बाबत सिलिंग वाद संख्या 05/70 विचाराधीन है जिसकी जानकारी तहसीलदार को पूर्व से थी। इसके अतिरिक्त किसी आदेश को रिव्यू उसी सूरत में किया जा सकता जिसमें न्यायालय के संज्ञान में कोई तथ्य नहीं हो, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं था। ऐसे में रिव्यू न कर उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। रिव्यू का दायरा अत्यन्त ही सीमित है, तथा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया जा सकता है। अतः इस आधार पर अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर उक्त रिव्यू आदेश को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार मा. जंक्शन ने धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही सम्पादित करते हुए ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण किया गया है। भू0अ0निरीक्षक के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करते समय उसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जबकि रिव्यू लगभग 04 माह पश्चात पेश की गई थी। इसके अतिरिक्त किसी पारित आदेश को रिव्यू किये जाने का सीमित स्कोप रहता है जिसमें लिपीकिय त्रुटि या गलत तथ्य को सुधारा जा सकता है, न कि पारित आदेश को ही अपास्त किया जा सकता हैं। ऐसे में रिव्यू प्रार्थना पत्र पारित आदेश निरस्त करने योग्य ही था।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है क्योंकि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं था और न ही वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से खातेदार या काश्तकार रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील इस आधार पर भी अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के द्वारा रेस्पाडेन्टस की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज करते हुए रेकर्ड इत्यादि तलब कर एवं राज पैरोकार की ओर से की गई बहस को सुनने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार मा0जंक्शन के द्वारा रिव्यू प्रकरण संख्या 8/2019 में पारित आदेश दिनांक 6.8.2019 को अपास्त किया गया है, जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह माना कि रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकार्ड पर कोई भूल स्पष्टतया परिलक्षित हो। नये तथ्यो के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका हो, उनको रिव्यू करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए तहसीलदार मा0जंक्शन के द्वारा पारित रिव्यू आदेश को अपास्त करते हुए तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत नामा0 को बहाल किये जाने बाबत जो आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखा जावें एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरें यथा आरआरटी 2014(2) पेज 1454, आरआरटी 2014 पेज 292, आरआरटी 2014(1) पेज 571, आरआरटी 2014(1) पेज 610, आरआरटी 2015(2) पेज 1416, आरआरटी 2011–12(सप्ल) पेज 69, आरआरटी 2013(2) पेज 1153 इत्यादि न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये गये।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2020 का एवं अधीनस्थ न्यायालय

अपील संख्या 8/2019 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा मात्र सिलिंग प्रकरण विचाराधीन होने का हवाला दिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 3182 को निरस्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.4.2013 के निर्णय में प्रतिपादित किया है कि

22. It has been time and again held that the power of review jurisdiction can be exercised for the correction of a mistake and not to substitute a view. In Parison Devi & Ors. vs Sumitri & Ors., (1997) 8 SCC 715, this Court held as under:-

"9. Under Order 47 Rule 1 CPC a judgment may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by a process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the Court to exercise its power of review under Order 47 rule 1 CPC. In exercise of the jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC it is not permissible for an erroneous decision to be "reheard and corrected". A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be "an appeal in disguise".

23. This Court, on numerous occasions, had deliberated upon the very same issue, arriving at the conclusion that review proceedings are not by way of an appeal and have to be strictly confined to the scope and ambit of Order 47 Rule 1 CPC".

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) आरआरटी पेज 610 अनुसारः–

Review of judgment – No pleading for discovery of new & important matter or evidence- Limited scope of review- No error apparent on face of record- Erroneous decision cannot be corrected under review jurisdiction- Held, review petition is devoid of merits & dismissed.

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों व सिविल प्रकिया संहिता की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू का दायरा सीमित है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.03.2020 में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर